अध्याय-VI

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली

अध्याय-VI

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण हेतु अनिवार्य अभिलेखों के रख-रखाव तथा व्यय, वसूलियों, सड़कों की गुणवत्ता आदि के अनुश्रवण में कुछ कमियाँ थीं। किसी भी प्राक्कलन में विभिन्न कार्य-मदों के लिए आवश्यक गुणवत्ता परीक्षणों और उनकी संख्या का विवरण अंकित नहीं पाया गया। नमूना जाँच किए गए किसी भी कार्य में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी नहीं की गयी थी।

प्रस्तावना

6.1 आंतरिक नियंत्रण ऐसी गतिविधियाँ एवं सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कि उसके क्रियाकलाप योजना के अनुसार संचालित हो रहे हैं। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण किसी भी सफल संगठन के लिए पूर्व-अपेक्षित है तथा सुशासन हेतु आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली में विभिन्न कमियाँ पायी जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में विस्तार से उल्लेख किया गया है:

महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव

6.2 लेखापरीक्षा जाँच में व्यय, वसूलियों, सड़कों की गुणवत्ता आदि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव में कमियाँ पायी गयीं:

कार्य-सार

6.2.1 जैसा कि अध्याय-V के **प्रस्तर 5.4.1** में चर्चा की गयी है, वित्तीय हस्त पुस्तिका[1] में प्रावधान है कि किसी कार्य से सम्बन्धित माह के सभी लेन-देन का लेखा, चाहे वह नकदी, स्टॉक या अन्य प्रभारों के सम्बन्ध में हो, एक कार्य-सार प्रपत्र में तैयार किया जाना चाहिए। इसमें रोकड़ बही तथा आपूर्तिकर्ताओं के सम्बन्धित देयकों से दिन-प्रतिदिन अंकन किया जाना चाहिए। कार्य-सार की मासिक जाँच खण्डीय अधिकारी के कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिसके कारण किसी

---

[1] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI का प्रस्तर 485, 509 तथा 510 ।

कार्य पर किसी माह में किए गए वास्तविक व्यय तथा लेखे में उसका सही लेखांकन/वर्गीकरण लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि कार्य-सार के रख-रखाव के लिए निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

कार्य-पंजिका

6.2.2 खण्ड द्वारा ₹ 20,000 से अधिक अनुमानित लागत के प्रत्येक कार्य पर एक वर्ष में किए गए व्यय का स्थायी एवं सामूहिक अभिलेख कार्य-पंजिका[2] है। कार्य-पंजिका में अंकन मासिक रूप से कार्य-सार से किया जाता है। इस अभिलेख का रख-रखाव खण्डीय कार्यालय में किया जाता है।

कार्य-सार के अभाव में नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा कार्य-पंजिका का भी रख-रखाव नहीं किया जा सका।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि कार्य-पंजिका के रख-रखाव हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

ठेकेदार खाता बही

6.2.3 वित्तीय हस्त पुस्तिका[3] के अनुसार ठेकेदारों से सम्बन्धित खातों को ठेकेदार खाता बही में रखा जाना चाहिए, प्रत्येक ठेकेदार जिसके लिए व्यक्तिगत खाता रखा जाना है, के साथ किए जाने वाले समस्त लेन-देन हेतु एक अलग पृष्ठ या पृष्ठों का सेट आरक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई सामग्री ठेकेदार को निर्गत की जाती है या उसकी ओर से कोई भुगतान किया जाता है, इस स्थिति में लेजर खाता अवश्य खोला जाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी खण्ड द्वारा इस अभिलेख का भी रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ठेकेदार खाता बही के अभाव में ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम तथा अन्य भुगतानों की वसूली का उचित अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया (अक्टूबर 2023) कि ठेकेदार खाता बही के रख-रखाव हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

---

[2] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- VI का प्रस्तर 511 तथा 512 ।

[3] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- VI का प्रस्तर 524, 525 एवं 527 ।

वाउचरों के साथ प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाणपत्र (सीआरसी) सुनिश्चित न करना

6.2.4 कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था (मई 2009) कि बिटुमिनस कार्यों के लिए भुगतान तभी किया जाएगा, जब ठेकेदार द्वारा बिटुमिन क्रय से सम्बन्धित मूल बीजक प्रस्तुत किया जायेगा तथा क्रॉस करके बिल के साथ संलग्न किया जायेगा। प्रमुख अभियंता द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था (मई 2015) कि यदि बिटुमिनस कार्य के लिए भुगतान मूल प्राप्तकर्ता प्राप्ति प्रमाण-पत्र (सीआरसी) की उपलब्धता के बिना किया गया है, तो इसके लिए अधिशासी अभियंताओं को उत्तरदायी माना जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से मात्र दो कार्यों[4] से सम्बन्धित वाउचरों के साथ मूल सीआरसी को क्रॉस कर संलग्न किया गया था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा, मूल सीआरसी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना बिटुमिनस कार्यों के लिए भुगतान करके जहाँ एक ओर शासकीय आदेशों का उल्लंघन किया गया वहीं दूसरी ओर कार्यों की गुणवत्ता से समझौता भी किया गया, क्योंकि मूल सीआरसी के अभाव में बिटुमिन की गुणवत्ता एवं क्रय के स्रोत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

उत्तर में, शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि जिन प्रकरणों में सीआरसी की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गयी थीं, उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। अग्रेतर, बिटुमिन के लिए सीआरसी प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया है जिसका वर्तमान में अनुपालन किया जा रहा है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि खण्डों को आवश्यक सीआरसी प्राप्त करने और अनुबन्ध संख्या को इंगित करके इसे क्रॉस करने का निर्देश दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्राचारों का अभिलेखीकरण

6.3 लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों में देयकों, समय-वृद्धि आवेदनों तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबिलाइज़ेशन/उपकरण/सुरक्षित अग्रिमों के आवेदनों की प्राप्ति को उचित रूप प्रलेखित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

[4] अहरौरा चकिया इलिया मार्ग (निर्माण खण्ड, चंदौली) एवं छपरौला दुजाना अकिलपुर प्यावली एनटीपीसी मार्ग (प्रांतीय खण्ड, गौतम बुद्ध नगर)।

जिसके परिणामस्वरूप, देयकों के भुगतान में विलम्ब तथा ठेकेदारों के समय-वृद्धि के आवेदनों पर निर्णय में लगने वाले समय या ठेकेदारों के आवेदनों पर कार्रवाई करने में प्राथमिकता प्रदान करते हुए खण्डीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को दिए गए किसी अनुचित लाभ की पुष्टि करना संभव नहीं था।

उत्तर में, शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि खण्डों के समस्त अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य चल रहा है जिसके पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा आपत्ति का स्वतः निराकरण हो जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान, खण्डों में अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं पाया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण

6.4 गुणवत्ता नियंत्रण में सामग्री एवं कार्य-कौशल का परीक्षण तथा निरीक्षण सम्मिलित है। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में उनके विशाल एवं जटिल तंत्र तथा वृहत मात्रा में सार्वजनिक धन के समावेश के दृष्टिगत यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में पायी गयी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सम्बन्धी कमियों पर निम्नवत चर्चा की गयी है:

अनिवार्य परीक्षणों को प्राक्कलनों में सम्मिलित न किया जाना

6.4.1 शासन द्वारा निर्देशित[5] किया गया (अगस्त 1996) कि भारतीय मानकों/विभागीय विनिर्देशों/आईआरसी कोड के अनुसार उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा के सापेक्ष, मद-वार परीक्षणों के प्रकार और उनकी संख्या का उल्लेख सभी प्राक्कलनों में किया जाए। प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधिकारी कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व इसे मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

नमूना जाँच किए गए कार्यों के प्राक्कलनों की जाँच से प्रकट हुआ कि इंजीनियरिंग प्राधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। कार्यों की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में, गुणवत्ता परीक्षणों और उनकी संख्या का विवरण किसी भी प्राक्कलन में उल्लेखित नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलनों को तैयार करने एवं उनकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के चरण में, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

[5] शासनादेश संख्या 742/23-9-96-11 एसी/96 दिनांक 21 अगस्त 1996 ।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अग्रेतर, यह बताया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के क्रियान्वयन तथा नमूनों को परीक्षण हेतु अनुसंधान संस्थान (आरआई), गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ (क्यूपीसी) तथा प्रयोगशालाओं में प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश[6] निर्गत किया गया है (अगस्त 2021) तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

सामग्री के अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन न किया जाना

6.4.2 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों की धारा 900 में सड़क निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया था (अगस्त 1996) कि कुल नमूनों में से 25 प्रतिशत नमूने अनुसंधान विकास एवं गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ (क्यूपीसी) एवं अनुसंधान संस्थान (आरआई) लखनऊ को भेजे जाएंगे, 25 प्रतिशत नमूने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में तथा शेष 50 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण जनपदीय प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व के निर्देशों को निरस्त करते हुए पुन: निर्देशित किया गया (अगस्त 2021) कि खण्ड स्तर पर परीक्षण की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुनः पुष्टि करने हेतु नमूने क्यूपीसी/आरआई को भेजे जाएं।

लेखापरीक्षा द्वारा निदेशक, क्यूपीसी और आरआई से नमूना जाँच किए गए खण्डों द्वारा प्रेषित किए गए नमूनों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी एवं यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में, कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए गए बिटुमिन की गुणवत्ता आश्वासन हेतु मात्र 17 खण्डों द्वारा निष्पादित कार्यों के सम्बन्ध में बिटुमिन के नमूने प्रेषित किए गए थे तथा शेष 10 खण्डों द्वारा कोई नमूना प्रेषित नहीं किया गया था।

अत: विभागीय अधिकारियों द्वारा शासनादेश का पालन नहीं किया गया।

खण्डों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने, क्यूपीसी एवं आरआई को प्रेषित न किए जाने के विषय में शासन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अक्टूबर 2023) में विभाग द्वारा आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।

---

[6] शासनादेश संख्या 668/23-9-2021/11 एसी/90 दिनांक 03.08.2021 ।

कार्यों का निरीक्षण

6.5 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (मई 1999) द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा मुख्य अभियंताओं को उनके अधिकार-क्षेत्र में सम्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। सम्बन्धित आदेश के अनुसार, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किए जा रहे समस्त कार्यों का क्रमशः छह माह एवं वर्ष में एक बार निरीक्षण करना था तथा निरीक्षण के उपरान्त विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों के निष्पादन की अवधि में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा 416 निरीक्षण तथा मुख्य अभियंताओं द्वारा 207 निरीक्षण किए जाने थे, परन्तु वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक की अवधि में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा मात्र 19 निरीक्षण (पाँच प्रतिशत) एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा मात्र 13 निरीक्षण (छह प्रतिशत) ही किए गए।

यह न मात्र शासनादेश के विरुद्ध था अपितु विभागीय अधिकारियों के स्तर पर खराब अनुश्रवण का भी संकेतक था।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2023) कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति बनाए रखने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। निरीक्षण टिप्पणी मात्र तभी निर्गत की जाती हैं जब कार्य से सम्बन्धित किसी विशेष मुद्दे का संज्ञान लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार, निरीक्षण टिप्पणियों की संख्या वास्तविक निरीक्षणों की संख्या को नहीं दर्शाती है। निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए हैं तथा निरीक्षणों की गुणवत्ता एवं संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा एक ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश (मई 1999) में निरीक्षण करने तथा विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत किए जाने के स्पष्ट निर्देश थे। शासनादेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि निरीक्षण टिप्पणी मात्र उन्हीं प्रकरणों में निर्गत किया जाए जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता हो।

सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा

6.6 शासन द्वारा दिसम्बर 2014 में निर्देश निर्गत किया गया था कि प्राविधिक स्वीकृति निर्गत किए जाने के पूर्व, प्राक्कलन में आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के उपरान्त सड़क सुरक्षा मदों का प्रावधान किया जाना चाहिए। अग्रेतर, एक वर्ष में पूर्ण किए गए कुल कार्यों में से, 10 प्रतिशत कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा तीसरे पक्ष से करायी जानी थी तथा शेष 90 प्रतिशत कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जानी थी। तीसरे पक्ष द्वारा, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा हेतु 10 प्रतिशत कार्यों का चयन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाना था।

चयनित खण्डों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों में से, किसी भी कार्य के प्राक्कलन में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा किए जाने का कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं था। इन कार्यों पर की गयी सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के समर्थन में खण्डों द्वारा भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रेतर, वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में, पूर्ण किए गए सड़क कार्यों की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा नहीं की गयी थी तथा 10 प्रतिशत कार्यों की तीसरे पक्ष द्वारा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी मुख्य अभियंताओं द्वारा सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार राज्य की सड़कों को सुरक्षित और सड़क सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा किये जाने की आवश्यकता को विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया।

सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा न कराए जाने के विषय में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया परन्तु बताया गया (अक्टूबर 2023) कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़क सुरक्षा शाखा की स्थापना की गयी है जहाँ सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और दुर्घटना बाहुल्य स्थलों की पहचान कर सड़क संरेखण या डिजाइन में परिवर्तन करके ब्लैक स्पॉट को कम करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा अग्रेतर बताया गया कि पुल-पुलिया एवं ब्लैक स्पॉट की जीआईएस मैपिंग सृष्टि-2

पोर्टल पर अद्यतन की जा रही है। सड़क सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड लगाने का प्रावधान सभी प्राक्कलनों में सम्मिलित किया जा रहा है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग द्वारा स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं किया जा सका तथा अवगत कराया गया कि प्रख्यात तकनीकी संस्थानों की सहायता से सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा कराया जाना विचाराधीन था।

संस्तुति 9:

उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने हेतु, विभाग द्वारा सामग्री के अनिवार्य परीक्षण, उच्च अधिकारियों द्वारा सड़कों का निरीक्षण तथा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सुनिश्चित किये जाने चाहिए। गुणवत्ता परीक्षणों में किसी भी कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा मदें

6.7 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी मदें जैसे- मार्ग संकेतक, मार्ग चिह्न एवं उभरे हुए रिफ्लेक्टिव पेवमेंट मार्कर इत्यादि, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं और इसलिए इन्हें आईआरसी मानदण्डों (आईआरसी: एसपी: 88-2010: सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्बन्धी मैनुअल) के अनुसार कार्य के प्राक्कलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रमुख अभियंता द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्राक्कलन दो भागों में, भाग-1 कार्य की लागत दर्शाता हुआ तथा भाग-2 सड़क सुरक्षा प्रावधानों की लागत दर्शाता हुआ प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2014) था।

तथापि, नमूना जाँच किए गए 109 कार्यों के प्राक्कलनों की जाँच में पाया गया कि 44 कार्यों (40 प्रतिशत) में सड़क सुरक्षा मदों की लागत विस्तृत प्राक्कलनों में पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट 6.1)**। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों द्वारा आईआरसी मानदण्डों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

उत्तर में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि भविष्य में सड़क सुरक्षा मदों की लागत समस्त प्राक्कलनों में पृथक रूप से सम्मिलित की जाएगी।

निष्कर्ष

सड़क कार्यों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे कार्य-सार, कार्य-पंजिका, ठेकेदार खाता बही आदि का रख-रखाव खण्डीय कार्यालयों में नहीं किया गया था। कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की गयी थीं क्योंकि कार्य की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में गुणवत्ता परीक्षण का विवरण प्राक्कलनों में उल्लिखित नहीं किया गया था और सामग्री के नमूने परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं को प्रेषित नहीं किए गए थे। उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया था। सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा भी मानदण्डों के अनुसार सम्पादित नहीं की गयी थी।

तान्या सिंह

लखनऊ **(तान्या सिंह)**

दिनांक 24 मार्च 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),**

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक 2 8 MAR 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**